राजस्थान पत्रकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता के लिए

आवेदन–प्रपत्र

सेवामे,

निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान,जयपुर – 5

1. पूरा नाम : --
2. आयु तथा जन्म तिथि : --
3. पूरा पता : --
----
4. जीवित पत्रकारों के सम्बन्ध में :–
   (अ) आवेदन कर्ता द्वारा पत्रकार के रूप में की गई सेवा का विस्तृत विवरण ।
   (ब) क्या असाध्य रोग से पीडित है ? यदि हां तो रोग का नाम व विवरण, अधीकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र सलंग्न करें ।
   (स) क्या अस्वस्थता के कारण बेरोजगार हैं ? आय का कोई साधन है अथवा नहीं
   (द) क्या आपने 60 वर्ष की आयु पूर्ण करली है ? : ----------------------
   आय का कोई साधन है अथवा नहीं है. ----------------------
   (ध) अन्य कारण ----------------------
5. मृत पत्रकार के परिवार / आश्रितों के सम्बन्ध में जानकारी
   (अ) दिवंगत पत्रकार का पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान
   (ब) आवेदनकर्ता का दिवंगत पत्रकार से सम्बन्ध
6 मै प्रमाणित करता हूं कि :–
   (अ) समस्त स्त्रोतों से मेरी वार्षिक आय--------------- रुपये है ।
   (ब) परिवार के अन्य सदस्यों की वार्षिक आय -----------रुपये है ।
   (स) क्या किसी अन्य संस्था/स्त्रोत से सहायता दी जा रही है ?
   (द) मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और मैने किसी तथ्य को छिपाया नही है ।

हस्ताक्षर आवेदन कर्ता

परिशिष्ट- II

प्रमाण–पत्र

मैने ~~श्रीमती~~/ श्री ---------------------------- के आवेदन-पत्र मे दिये गये तथ्यों की आवश्यक जांच की है और इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार सिफारिश करता हूं :–

(क) आवेदनकर्ता पत्रकारों / उनके आश्रितो को वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत आता है ।

(ख) पत्रकार असाध्य रोग/ अधिक आयु /अन्य कारणों से बेरोजगार है और आजीविका का कोई साधन नही है ।

(ग) आवेदनकर्ता की आयु (सलंग्न प्रमाण–पत्र के अनुसार) -------- वर्ष है ।

(घ) आवेदनकर्ता स्वर्गीय --------- की पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री /पिता/ माता है और ये बेरोजगार है और इनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है ।

(ङ) दावेदार की कुल वार्षिक आय ---------- है ।

(च) दावेदार का अन्य स्त्रोतो से आय--------- है ।

आवेदनकर्ता ने जो विवरण प्रस्तुत किया है, वह सही है / नहीं है ।

स्थान: ----------

दिनांक ---------

हस्ताक्षर मोहर सहित

नियम -9 के अन्तर्गत अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ अथवा अखिल भारतीय पत्रकार पत्र सम्पादक सम्मेलन अथवा अखिल भारतीय लघु एवं मध्यम पत्रकार संघ अथवा विभिन्न अकादमियों में वर्तमान पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित करायें ।

राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

(क) इन नियमों का नाम राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष नियम, 2001 होगा।

(ख) ये नियम 2 अक्टूबर, 2001 से सम्पूर्ण राजस्थान में लागू होंगे।

(ग) ये नियम राजस्थान पत्रकार कल्याण कोष, 1982 का स्थान लेंगे।

2. परिभाषा : जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में :–

(क) "पत्रकार" से तात्पर्य पत्र के सम्पादक, सम्पादकीय डेस्क पर कार्य करने वाले व्यक्ति, संवाददाता अथवा श्रमजीवी पत्रकार से है, जिसकी आजीविका पत्रकारिता पर निर्भर करती है।

(ख) "साहित्यकार" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो साहित्यिक लेखन से पांच वर्षों से जुड़ा हो और साहित्यिक विधा में सृजनरत हो अथवा राज्य की साहित्य अकादमियों द्वारा साहित्यकार के रूप में सम्मानित व मान्य किया गया हो और जो राजस्थान का मूल निवासी हो और जिसके आय साहित्येत्तर साधन न हो। इसमें कवि व शायर भी सम्मिलित हैं।

(ग) "सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

(घ) "आश्रित" से तात्पर्य पत्रकार एवं साहित्यकार की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पिता व माता से है।

(ड.) "समिति" से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा गठित की गई समिति से है।

3. **पात्रता ः**– राज्य के पत्रकारों और साहित्यकारों अथवा दिवंगत पत्रकारों और साहित्यकारों के आश्रितों को वित्तीय सहायता निम्न प्राथमिकताओं के क्रम में तथा एक समय में एक ही व्यक्ति को दी जाएगी :–

(क) पत्रकारों और साहित्यकारों को

(1) ऐसे पत्रकार और साहित्यकार जो असाध्य रोग जैसे क्षय, कैंसर, कुष्ठ से ग्रसित हैं उनके इलाज के लिए तथा वाल्व रिपलेसमेंट, एन्ज्योप्लास्टी एवं बाईपास सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लान्टेशन आदि रोगों के इलाज के लिए।

(2) ऐसे पत्रकार और साहित्यकार जो अस्वस्थता के कारण बेरोजगार हैं और आय का कोई अन्य साधन नहीं है।

(3) ऐसे पत्रकार और साहित्यकार जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूर्ण करली है और जिनके पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है।

(4) अन्य मानवीय आधार जिसके लिए नियम 6 में गठित समिति अभिस्तुति प्रस्तुत करे।

(ख) दिवंगत पत्रकारों और साहित्यकारों के आश्रितों को

(1) पत्रकार और साहित्यकार की पत्नी जिसकी आय का अन्य कोई साधन नहीं है।

(2) 28 वर्ष से कम आयु का बेरोजगार पुत्र।

(3) अविवाहित पुत्री।

(4) पत्रकार और साहित्यकार के पिता व माता यदि उनके पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है।

4. वित्तीय सहायता राशि

(1) जीवन बीमा निगम की न्यू जीवनधारा योजना तथा सामूहिक जीवन बीमा योजना में बीमित पत्रकारों के लिए आधी प्रीमियम राशि का अंशदान इस कोष से किया जाएगा।

(2) इन नियमों के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 1000 रुपये से 2500 रुपये प्रति माह तथा अधिकतम एक वर्ष तक के लिए होगी। एकमुश्त राशि 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी लेकिन विशेष मामलों में कारणों को लिखित में उल्लेखित करते हुए समिति इस सीमा को बढ़ा भी सकती है जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

5. कोष का गठन एवं अभिदान

(1) पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष की स्थापना राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त 1 करोड़ रुपये की पूंजीगत राशि से होगी।

(2) उक्त पूंजीगत राशि पर अर्जित ब्याज एवं अन्य अभिदान से प्राप्त राशि का उपयोग पत्रकार और साहित्यकार कल्याण पर किया जाएगा। अभिदान का विवरण निम्न प्रकार है :–

(क) पत्रकार और साहित्यकार संगठन

(1)	राज्य स्तर पर पत्रकार संगठन	2000 रुपये वार्षिक
(2)	जिला स्तर पर पत्रकार संगठन	250 रुपये वार्षिक
(3)	साहित्य अकादमियां	5000 रुपये वार्षिक

(ख) सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय एवं अन्य बोर्ड, निगम व निकायों द्वारा राष्ट्रीय, राज्य के बाहर के समाचार पत्र एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापन राशि का एक प्रतिशत तथा संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय साप्ताहिक,

पाक्षिक एवं अन्य पत्रिकाओं को दिए गए विज्ञापन राशि का आधा प्रतिशत विज्ञापन भुगतान से एट सोर्स काटकर उक्त कोष में जमा कराया जाएगा। सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय इस राशि को कोष में जमा कराने के लिए अन्य सभी प्रभावी कार्यवाही करेगा।

(ग) **अन्य स्रोत** :– राज्य सरकार समय–समय पर अन्य कोई स्रोत भी निर्धारित कर सकेगी।

6. **कोष का प्रबंध** :– कोष का प्रबंध एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार मनोनीत कर किया जाएगा :–

(1)	मंत्री/राज्यमंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
(2)	सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार	उपाध्यक्ष
(3)	जर्नलिस्ट एसोसियेशन ऑफ राजस्थान (जार) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(4)	राजस्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(5)	राजस्थान लघु समाचार पत्र संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(6)	पिंकसिटी प्रेस क्लब, जयपुर का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(7)	राजस्थान के प्रमुख दैनिक पत्रों में से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो प्रतिनिधि	सदस्य
(8)	साहित्यिक संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो प्रतिनिधि	सदस्य
(9)	शासन सचिव, वित्त विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जो उप सचिव स्तर से कम का न हो।	सदस्य
(10)	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क	सदस्य सचिव

इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष को होगा। समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार अथवा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे। इसका कोरम अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को मिलाकर पांच व्यक्तियों का होगा।

7. **वित्तीय सहायता के लिए प्रक्रिया**

(1) इन नियमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत किया जा सकेगा। पत्रकारों के आवेदन की अनुशंसा राजस्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ/जार/समाचार पत्र संपादक सम्मेलन या अखिल भारतीय लघु एवं मध्यम

समाचार पत्र संघ, प्रेस क्लब द्वारा साहित्यकार, कवि तथा शायरों के आवेदन की अनुशंसा संबंधित अकादमी द्वारा की जाएगी।

(2) सभी आवेदन पत्रों की जांच राजस्थान पत्रकार कल्याण कोष समिति द्वारा की जाएगी। समिति पात्रता और अन्य बातों के संबंध में संतुष्ट होने के बाद आवेदन पत्रों पर आदेश पारित करेगी, जिसे सदस्य सचिव क्रियान्वित करेंगे।

8. विशेष अधिकार

(1) विशेष मामलों में इन नियमों के अन्तर्गत 10,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए सदस्य सचिव सक्षम होंगे। ऐसे सभी मामलों को बाद में समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(2) अनुदान की प्रक्रिया और अन्य मानवीय आभार के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित सिद्धांत समिति, राज्य सरकार की स्वीकृति से निर्धारित करेगी।

(3) समिति अपनी बैठक आदि से संबंधित प्रक्रिया एवं उप नियम स्वयं बनायेगी और उन्हें राज्य सरकार से स्वीकृत कराएगी।

9. पत्रकारों के लिए न्यू जीवन धारा योजना एवं सामूहिक बीमा योजना

(1) नियम 2 के खण्ड (क) में वर्णित पत्रकारों के लिए जीवन बीमा निगम की न्यू जीवन धारा योजना तथा सामूहिक बीमा योजना लागू की जा सकेगी।

(2) यह योजना स्वैच्छिक होगी।

(3) जीवन बीमा निगम के अनुसार न्यू जीवनधारा योजना की वर्तमान में मुख्य–मुख्य नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार होंगी जो कि समय–समय पर जीवन बीमा निगम द्वारा परिवर्तनीय होंगी :–

(क) पॉलिसी 60 वर्ष की उम्र अथवा 25 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो, पर परिपक्व होगी।

(ख) पॉलिसी परिपक्व होने पर बीमाधारक को 2000 रुपये प्रतिमाह की धनराशि जीवनपर्यन्त देय होगी तथा बीमा धारक की मृत्यु होने के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारी को धनराशि के क्रय मूल्य के समतुल्य राशि दी जायेगी।

(ग) योजना में यदि बीमाधारी की मृत्यु धनराशि प्राप्त होने की तिथि के बाद में होती है तो बीमाधारक के परिवार को कोई धनराशि देय नहीं होगी लेकिन बीमा का क्रय मूल्य उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा।

(घ) यदि बीमाधारक की मृत्यु बीमित पॉलिसी के परिपक्व होने से पूर्व हो जाती है तो पॉलिसी शुरू होने की तारीख से मृत्यु की तिथि के बाद अगली प्रीमियम की तिथि

तक की कुल अवधि के लिए वास्तविक प्रीमियम के आधार पर क्रय मूल्य की गणना कर प्राप्त राशि बीमाधारी के उत्तराधिकारी को दी जायेगी।

(ड.) योजना के अन्तर्गत प्रीमियम आयु वर्ग एवं योजना की अवधि से निर्धारित होगी। योजना में कम से कम 2 वर्ष तथा अधिक से अधिक 25 वर्ष के लिए शामिल हुआ जा सकेगा।

(च) उक्त योजना में वर्तमान में निम्न प्रीमियम देय होगा जो कि समय–समय पर जीवन बीमा निगम द्वारा यथा परिवर्तित देय होगा।

आयु (वर्ष)	अवधि	प्रीमियम प्रति वर्ष	क्रय मूल्य
35	25 वर्ष	2,628 रुपये	2,67,261
40	20 वर्ष	4,291 रुपये	2,67,261
45	15 वर्ष	7,363 रुपये	2,67,261
50	10 वर्ष	13,944 रुपये	2,55,048

(4) जीवन बीमा निगम को देय प्रीमियम की आधी राशि पत्रकार द्वारा तथा आधी राशि पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष से जमा कराई जाएगी। पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष के माध्यम से जीवन बीमा निगम को वार्षिक आधार पर प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। योजना में 10 वर्ष से कम अवधि के लिए शामिल होने पर पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष द्वारा अंशदान नहीं दिया जाएगा।

(5) बीमित पत्रकार अपना प्रीमियम पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष में प्रीमियम राशि जमा कराने की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व जमा करेंगे। पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष उसमें अपना आधा अंशदान सम्मिलित कर पूर्ण धनराशि जीवन बीमा निगम कार्यालय को भुगतान करेगी। जीवन बीमा निगम कार्यालय को वार्षिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

(6) तीन वर्ष से कम अवधि तक योजना में रहने पर प्रीमियम की कोई धनराशि नहीं लौटाई जाएगी। तीन वर्ष से अधिक अवधि तक योजना में रहने के उपरांत यदि योजना छोड़ दी जाती है तो मैच्यूरिटी पर पत्रकार को आनुपातिक धनराशि देय होगी अथवा जमा राशि में से प्रथम वर्ष का प्रीमियम काटकर शेष जमा राशि का 95 प्रतिशत सरेन्डर्ड वेल्यू के रूप में वापस कर दिया जाएगा। प्रत्येक दशा में वापस की जाने वाली धनराशि का आधा भाग पत्रकार साहित्यकार कल्याण कोष में जमा कराया जावेगा।

(7) यदि कोई पत्रकार योजना में कुछ समय तक शामिल रहने के बाद किसी कारण से योजना को त्याग देता है और कालान्तर में योजना में पुनः वापस लौटना चाहता है तो उसे पिछली बकाया सभी किस्तों को भुगतान ब्याज सहित करने पर योजना में पुनः शामिल किया जा सकेगा।

ब्याज की समस्त धनराशि बीमाकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

(8) धनराशि संबंधी सभी दावों आदि का निस्तारण जीवन बीमा निगम द्वारा किया जावेगा।

(9) न्यू जीवनधारा योजना के साथ–साथ जोखिम को आच्छादित करने के लिए प्रत्येक पत्रकार, जो इस योजना में शामिल होगा, को अनिवार्य रूप से सामूहिक जीवन बीमा भी कराना होगा। इस नियमित जीवनधारा योजना के प्रीमियम के साथ ही अतिरिक्त प्रीमियम जो पत्रकार की आयु के अनुसार भिन्न–भिन्न होगा, पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष से जीवन बीमा निगम को देय होगा। न्यू जीवनधारा बीमा योजना की पॉलिसी के साथ इस योजना हेतु भी पत्रकार सामूहिक जीवन बीमा द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रार्थना–पत्र पर अपना आवेदन करेंगे। इस निमित्त देय प्रीमियम की धनराशि का आधा भाग संबंधित पत्रकार द्वारा पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष में प्रीमियम जमा कराने की तिथि से एक माह पूर्व जमा कराया जाएगा। इस प्रकार बीमित पत्रकार की असामयिक मृत्यु की स्थिति में पत्रकार के नामित व्यक्ति को एकमुश्त 1,00,000 रुपये की धनराशि मिल सकेगी, जो कि केवल 60 वर्ष की उम्र तक ही आच्छादित रहेगा। यदि मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है तो 1,00,000 रुपये अतिरिक्त राशि देय होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह.

उपशासन सचिव

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग